कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती बीना मिश्रा, प्रधानाचार्य, श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारानी खुर्द जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती बीना मिश्रा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14729/2019 बीना मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14729/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थी बीना मिश्रा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी सेवानिवृति में एक वर्ष से भी कम समय शेष रहने एवं याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन पुनः श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, जोधपुर में यथावत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

याचिकार्थी की निकट सेवानिवृति को दृष्टिगत रखते हुए उनका जोधपुर जिले में ही स्थानान्तरण किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। गृह जिले में ही पदस्थापित रहते हुए याचिकार्थी द्वारा पेंशन परिलाभों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अपेक्षित नहीं है। याचिकार्थी शहर में ही बने रहना चाहती हैं जो किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।** उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियो एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4, श्री नन्द किशोर दाधीच के हितों को ध्यान में रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती बीना मिश्रा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था। चूंकि याचिकार्थी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है अतः श्रीमती बीना मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारानी खुर्द जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल

कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/बीना मिश्रा/एसबीसिया/14729/2019 दिनांक 21.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती बीना मिश्रा के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राथमिक जांच/विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित याचिकार्थी श्रीमती बीना मिश्रा को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर